न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –55 / 2023

अनवान

1. घनश्याम पुत्र चतरभुज, जाति सुथार, निवासी रेनखेड़ा, हाल निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कन्हैयालाल पुत्र चतरभुज, जाति सुथार, निवासी रेनखेड़ा, हाल निवासी आरपीएस, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. कमला बाई पुत्री चतरभुज पत्नी राधेश्याम जी, जाति सुथार, निवासी रेनखेड़ा, हाल निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. कौशल्या बाई पुत्री चतरभुज, जाति सुथार, निवासी रेनखेड़ा, हाल निवासी राणा जी का गुड्डा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।
5. गीताबाई पुत्री चतरभुज पत्नी गोरधन जी, जाति सुथार, निवासी रेनखेड़ा, हाल निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।
6. टीकमचंद पुत्र चतरभुज, जाति सुथार, निवासी रेनखेडा, हाल निवासी आरपीएस, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. मोहनलाल पुत्र चतरभुज, जाति सुथार, निवासी रेनखेड़ा, हाल निवासी झालरबावडी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. लक्ष्मा बाई पुत्री चतरभुज पत्नी बालचंद, जाति सुथार, निवासी रेनखेड़ा, हाल निवासी गुणदी(सोहनखेड़ा) तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा, राजस्थान।
9. शोभालाल पुत्र चतरभुज, जाति सुथार, निवासी रेनखेड़ा, हाल निवासी आरपीएस, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. हेमराज पुत्र चतरभुज, जाति सुथार, निवासी रेनखेड़ा, हाल निवासी आरपीएस, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमती प्रेम बाई पत्नी मदनलाल, जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्रीमान् भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अप्रार्थीगण / विपक्षी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव अभिभाषक वादी।
प्रतिवादी संख्या 01 एकतरफा कार्यवाही व
प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 08.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम रेनखेड़ा, प0ह0 रेनखेड़ा, भू.अ.नि. एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 56 खसरा संख्या 244, 252 किता 02, कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर लगानी 5.10 पैसा खाते में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें हम वादीगण का 1/2 का हक व हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हक व हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर हम सभी वादीगण एवं प्रतिव[illegible] अपने हक व हिस्से [illegible] काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बं[illegible] होने के कारण किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा भूमि [illegible] को लेकर वाद–विवाद होते रहते हैं। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] एवं प्रतिवादी 01 के मध्य अपने अपने हिस्से अनुरूप अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का [illegible] कायम करते हुए बंटवाड़ा किया जाना न्यायोचित हैं। उक्त वर्णित आराजी में पूर्व में 1/2 हिस्सा विजयलाल पिता धूलीलाल, जाति सुथार निवासी बाड़ोलिया के हक व हिस्से में थी जिसे विजयलाल ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को प्रेमबाई पत्नी मदनलाल गुर्जर निवासी रेनखेड़ा को बेच दी है तथा शेष वादीगण की कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा है जिस पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादीगणों द्वारा प्रतिवादी सं. 01 को बंटवाड़ा करने हेतु कहा तो प्रतिवादी सं. 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:32:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गया और बंटवाड़ा कराने से आनाकानी करता है इसलिए यह वाद पत्र बंटवाड़ा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ हैं। अंत में वादीगण द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम रेनखेड़ा, प0ह0 रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी संवत् 2076–79 की खाता सं. 56 खसरा सं. 244, 252 किता 02, कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर कुल लगानी 5.10 रूपया खाते में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कृषि भूमि का बंटवाड़ा किया जाकर रास्ता कायम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा कर तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावे तथा उरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का 1/2 का हक व हिस्सा निहित है जिसमें प्रतिवादी सं. 01 द्वारा अमलदखल कर बुवाई करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को उनके हिस्से की कृषि आराजी में काश्त करने में किसी प्रकार की रूकावट ना तो स्वयं करे ना अपने परिवारजन या अपने अभिकर्ता से करावे का आदेश प्रदान कर डिक्री जारी फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 02 पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 के एकतरफा कार्यवाही होने व 2 द्वारा वाद पत्र के खण्डन नही करने से से वादपत्र 12.09.2024 को स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य ग्राम रेनखेड़ा, प0ह0 रेनखेड़ा, भू.अ.नि. एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 56 खसरा संख्या 244, 252 किता 02, कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिक्री किया जाकर कमिश्नर से मौके के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। कमिश्नर ने दिनांक 16.01.2025 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी प्राप्त प्रस्ताव से वकील वादी सहमत हैं, प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप होने से वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रेनखेड़ा, प0ह0 रेनखेड़ा, भू.अ.नि. एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 56 खसरा संख्या 244, 252 किता 02, कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टियाँ

क्र. सं.	नाम खातेदार व विवरण	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	कन्हैयालाल पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार। कमलाबाई पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार। कौशल्या बाई पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार। गीता बाई पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार। घनश्याम पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार। टीकमचन्द पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार। प्रेमबाई पत्नि मदनलाल हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार। मोहनलाल पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार। लछमाबाई पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार। शोभालाल पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार। हेमराज पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार सा. देह खातेदार।	244 252	0.48 0.54	2.40 2.70
	योग	किता–2	1.02है0	5.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:32:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रस्तावित बंटवाड़ा अनुसार प्रविष्टियाँ				
क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	रकबा (है0)	लगान
1.	श्री कन्हैयालाल, घनश्याम, टीकमचन्द, मोहनलाल, शोभालाल, हेमराज, कमलाबाई, कौशल्या बाई, गीता बाई, लछमा बाई पिता चतरभुज जाति सुथार सा. देह ,खातेदार	244 / 1 252 / 2	0.46 0.04	2.30 0.20
	योग	किता 2	0.50	2.50
2.	श्रीमती प्रेमबाई पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	252 / 1	0.50	2.50
	योग	किता 01	0.50	2.50
3.	श्री कन्हैयालाल, घनश्याम, टीकमचन्द, मोहनलाल, शोभालाल, हेमराज, कमलाबाई, कौशल्या बाई, गीता बाई, लछमा बाई पिता चतरभुज जाति सुथार सा. देह ,खातेदार, श्रीमती प्रेमबाई पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	244 / 2	0.02	0.10
	योग	किता 01	0.02	0.10

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा।

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:32:01 IST
Reason: SelfAttested